OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

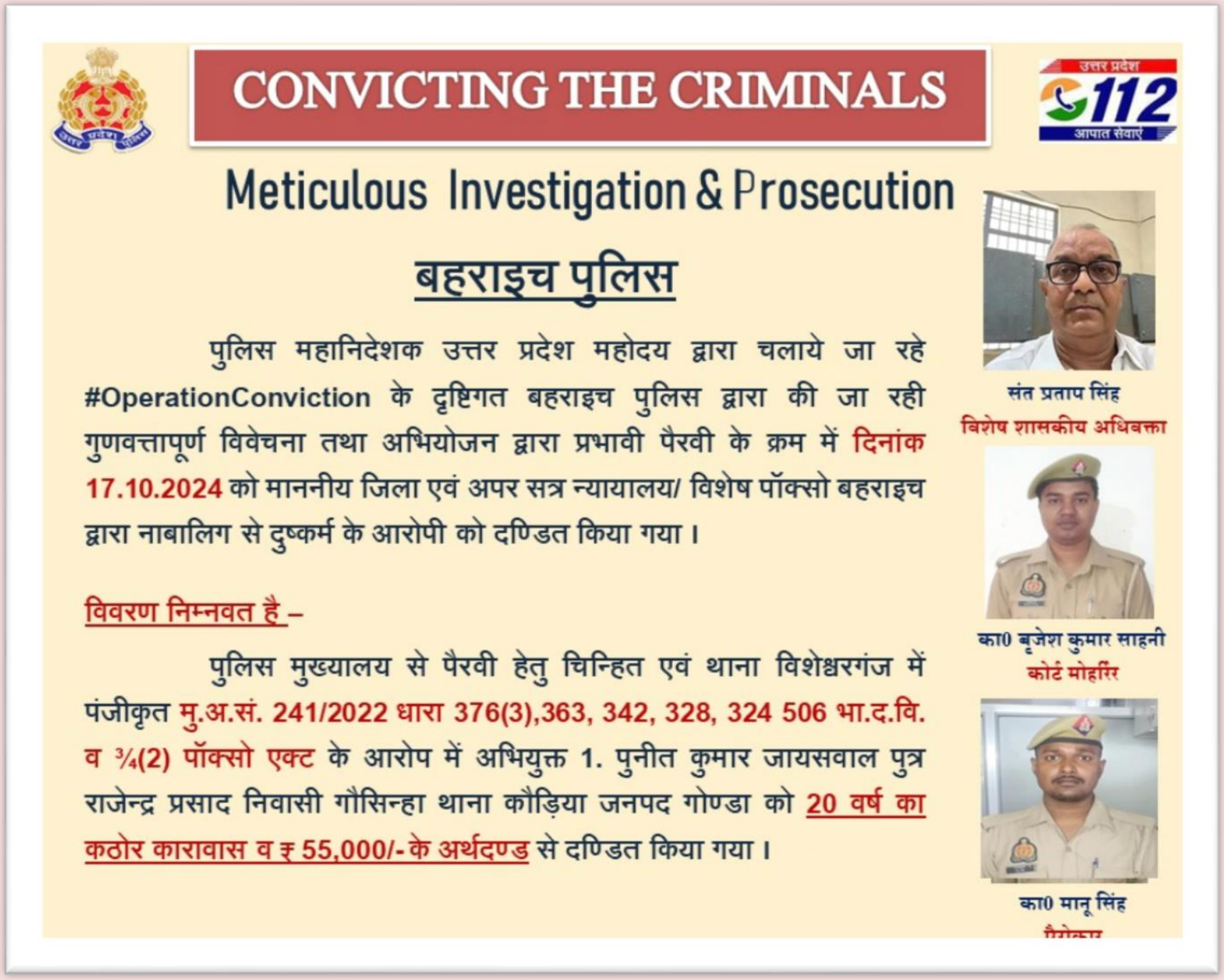

दुष्कर्मी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा, 55 हजार रुपये जुर्माना

दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने किया बरी

जागरण संवाददाता • बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने दुष्कर्म के एक आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी, जबकि दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने

01 वर्ष अतिरिक्त सजा जुर्माना न अदा करने पर

मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि विशेश्वरगंज के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 12 जुलाई 2022 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा लिखाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को गोंडा के कौड़िया थाने के गौसिनहा निवासी पुनीत कुमार जायसवाल समेत दो अन्य बहला-फुसलाकर लेकर चले गए थे और एक वर्ष उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में काफी छानबीन करने के बाद पीड़िता को बरामद किया था। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान में आरोपित के हैवानियत की कहानी बयां की थी। इसी आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।

विचारण के दौरान अदालत ने दो अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद मुख्य आरोपित पुनीत कुमार जायसवाल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दोषी युवक जुर्माना अदा करता है तो अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दे दी जाए।

हिन्दुस्तान

बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष का सश्रम कारावास

बहराइच, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने अपहरण, बंधक बना रेप, पाक्सो के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराधी पर 55 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

विशेश्वरगंज थाने के एक गांव निवासिनी किशोरी दो वर्ष पूर्व बरदही बाजार के पीर बाबा मजार पर जियारत करने गई। प्रसाद चढ़ाकर वापस गांव आ रही थी, तभी बाजार में गांव के दुर्गेश्वरी उर्फ सरस्वती देवी, गोण्डा जिले के कौड़िया थाने के गौसिया गांव का युवक पुनीत कुमार जायसवाल के साथ मिली। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि युवक किशोरी को गांव छोड़ने की बात कहकर वाहन में बैठाकर ले गया और रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। किशोरी की आंख खुली तो खुद को लखनऊ स्टेशन पर पाया। एक बार फिर उसे चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी को गुजरात ले गया। युवक ने कई दिनों तक रेप किया।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह के अनुसार गुजरात में लोगों को शक होने पर युवक किशोरी को सीतामढ़ी बिहार ले गया। इस दौरान युवक ने किशोरी को प्रताड़ित किया और ब्लेड से हाथ काटने के साथ सिगरेट से दागा। बिहार में लोगों को भनक लगी तो युवक को मारपीट कर भगा दिया। पिता को बुलाकर पुत्री को हवाले कर दिया। किशोरी का पिता दिल्ली में वाहन चलाने का कार्य करता था।

नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी

विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने 54 हजार का अर्थदंड भी लगाया

अदालत से

बहराइच। गोंडा के थाना कौडिया स्थित गौसिन्हा गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी पुनीत को बीस वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 54 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

थाना विशेश्वरगंज के एक गांव निवासी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण व दुष्कर्म का मामला वर्ष 2022 में दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि उसकी बेटी को दो वर्ष पूर्व जनपद गोंडा के थाना कौडिया स्थित गौसिन्हा गांव निवासी पुनीत कुमार जायसवाल ने नशीला पदार्थ खिलाकर कर बेहोश कर दिया। इसके बाद वह उसे गुजरात ले गया। वहां उसने बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

इसके बाद बेटी को बिहार के सीतामढ़ी गांव ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। करीबडेढ़ साल तक आरोपी पुत्री को मुंह बंद रखने के लिए डराता धमकाता रहा। गांव के कुछ लोगों ने शक होने पर सुरक्षित घर पहुंचाया था। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने अभियुक्त पुनीत जायसवाल को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।